

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 361815 /

ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 24/03/18

ग्रा0वि0 -6/अभि0-03-08/2017

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।

विषय:- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए व्यय हेतु विमुक्त केन्द्रांश (अतिरिक्त किस्त) की देय सहायक अनुदान की राशि 101.12 लाख (एक करोड़ एक लाख बारह हजार) रुपये का आवंटन ।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या -310732 दिनांक-18.05.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में कहना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक- R-17014/01/2017-18 DRDA(Pt.) (Sl.No.103) दिनांक-15.03.2018 द्वारा केन्द्रांश हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रांश (60%) अतिरिक्त किस्त के रूप में कुल राशि 101.12 लाख (एक करोड़ एक लाख बारह हजार) रुपये विमुक्त किया गया है, जिसके आलोक में विहित राज्य बजट शीर्ष मांग संख्या- 42, मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष-0202-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम) विपत्र कोड संख्या- 42- 2501061010202 विषय शीर्ष- 31 04 सहायक अनुदान वेतन के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित एवं स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्नांकित विवरणी के स्तम्भ 3 के अनुसार व्यय हेतु राशि का आवंटन किया जाता है:-

		रुपये लाख में				
क्र. सं.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का नाम	वर्ष 2017-18 में विमुक्त केन्द्रांश की अतिरिक्त किस्त की राशि (60%)	बैंक का नाम	खाता संख्या	IFSC No.	बैंक ड्राफ्ट भुगतये
1	2	3	4	5	6	7
1	बेगूसराय	6.32	State Bank of India	11082093771	SBIN0000032	DDC, DRDA, Begusarai
2	पूर्वी चंपारण	6.32	State Bank of India	11060625078	SBIN0000137	उप विकास आयुक्त, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी एवं निदेशक, डी0आर0डी0ए0, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी
3	जहानाबाद	6.32	State Bank of India	30397389782	SBIN0000100	उप विकास आयुक्त, जहानाबाद
4	खगड़िया	6.32	State Bank of India	11068094842	SBIN0000114	डी.आर.डी.ए., खगड़िया
5	किशनगंज	6.32	State Bank of India	11239906546	SBIN0000117	DDC-Cum-MD. DRDA, Kishanganj (DRDA Admin)
6	लखीसराय	6.32	State Bank of India	30981092877	SBIN0002968	DRDA (DDC) ADMINISTRATION, LAKHISARAI
7	मधेपुरा	6.32	State Bank of India	30504792998	SBIN0003052	DDC-Cum-CEO, DRDA Administration, Madhepura
8	मधुबनी	6.32	Allahabad Bank	20325070899	ALLA0211055	D.R.D.A. MADHUBANI
9	नालन्दा	6.32	State Bank of India	30197308732	SBIN0000042	D.R.D.A. Nalanda

10	सहरसा	6.32	State Bank of India	11098096650	SBIN0000172	उप विकास आयुक्त, सहरसा
11	शेखपुरा	6.32	State Bank of India	11373353904	SBIN0006617	D.D.C. SHEIKHPURA
12	शिवहर	6.32	Bank of India	443610200002530	BKID0004436	उप विकास आयुक्त, शिवहर
13	सीतामढ़ी	6.32	Central Bank of India	1586392093	CBIN0280023	उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी
14	सुपौल	6.32	State Bank of India	11154751018	SBIN0005998	उप विकास आयुक्त, सुपौल
15	वैशाली	6.32	Allahabad Bank	50149206273	ALLA0210006	DRDA ADMINISTRATION / DDC VAISHALI
16	अरवल	6.32	State Bank of India	11436837769	SBIN0008435	उप विकास आयुक्त, अरवल
कुल-		101.12				

(कुल आवंटित राशि- एक करोड़ एक लाख बारह हजार) ₹0 मात्र

- यह आवंटन विभागीय राज्यादेश संख्या- 310732 दिनांक-18.05.2017 द्वारा विमुक्त राशि एवं संकल्प संख्या- 199847 दिनांक -05.09.2014 के अधीन दिया जाता है।
- आवंटित राशि मांग संख्या- 42, मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष-0202-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम) विपत्र कोड संख्या-42-2501061010202 विषय शीर्ष- 31 04 सहायक अनुदान वेतन के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के प्रशासन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकल्पनीय है।
- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 में निहित निर्देश के अनुपालन में निर्गत किया जाता है तथा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एक मुश्त राशि की अग्रिम निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभाग का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया है। अतः विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा आवंटित राशि (कंडिका-1 की विवरणी स्तंभ-3) की एक मुश्त निकासी करके विभागीय निदेश के आलोक में संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संबंधित बैंक खाते (कंडिका-1 की विवरणी स्तंभ 4 से 6) में अंतरित की जाएगी।
- आवंटित राशि के व्यय हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) की मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देशों तथा निकासी एवं व्यय हेतु वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- राशि की निकासी के संबंध में कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि तथा व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी तथा व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को भी दी जाती है।
- इसमें सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(राधा-किशोर झा)
सरकार के विशेष सचिव

जापांक:- 361815 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 24/03/18

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना / संबंधित उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

जापांक:- 361815 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 24/03/18

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

जापांक:- 361815 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 24/03/18

प्रतिलिपि- श्री चन्द्र शेखर मिश्रा, उप सचिव (डी.आर.डी.ए.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके पत्रांक- R-17014/01/2017-18 DRDA(Pt.) (Sl.No.103) दिनांक-15.03.2018 के प्रसंग में/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी 6 एवं 10 / सांख्यिकी कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ कार्यवाहक सहायक को 10 अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव